बोर्ड सदस्यों हेतु प्रशिक्षण नीति

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्
(जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार)

Biotechnology Industry Research Assistance Council
(A Central Public Sector Enterprise under Department of Biotechnology,
Ministry of Science and Technology, Government of India)

1.0 प्रस्तावना

1.1 जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक), भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की धारा 8, अनुसूची द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का गैर-लाभकारी उद्यम है। देश में बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उसका पोषण करने के लिए कैबिनेट के विशिष्ट अधिदेश के साथ बाइरैक की स्थापना की गई है। निदेशक मंडल संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और डीपीई के आदेशानुसार सभी बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों को अपने ज्ञान को उन्नत करने तथा नवीनतम विनियामक परिवर्तनों से अवगत रहने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें।

1.2 इस प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य अपने बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है, जिसमें कार्यात्मक निदेशक, प्रबंध निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, कॉर्पोरेट प्रशासन और कंपनी पर लागू व्यावसायिक नैतिकता के आदर्श संहिता के क्षेत्र में वर्तमान विकास को उपलब्ध कराना तथा निदेशकों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभव को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

2.0 निदेशकों के प्रशिक्षण पर डीपीई दिशानिर्देश :

2.1 भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 में निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

खंड 3.7 निदेशकों का प्रशिक्षण

संबंधित कंपनी अपने नए बोर्ड सदस्यों (कार्यकारी, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें कंपनी के व्यवसाय का जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और ऐसी जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका शामिल होगा। उन्हें कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यवसाय नैतिकता के आदर्श संहिता और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3.0 कार्यक्रम कवरेज, आवृत्ति, अवधि और रूपरेखा

3.1 **नये बोर्ड सदस्यों हेतु -** प्रयास यह होगा कि नये निदेशक की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर नवनियुक्त निदेशकों की सुविधा के अनुसार न्यूनतम तीन दिनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण (भारत में) प्रदान किया जाए।

3.2 **मौजूदा बोर्ड सदस्यों हेतु -** प्रत्येक दो वर्ष में एक बार न्यूनतम तीन दिन की अवधि के लिए (भारत के भीतर) प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

3.3 **स्वतंत्र निदेशकों हेतु -** नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की सुविधा के अनुसार न्यूनतम तीन दिनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण (भारत के भीतर) प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

4.0 प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों, सरकारी नामितों और कार्यात्मक निदेशकों की सुविधा के अनुसार उन्हें प्रीमियम संस्थानों जैसे निदेशक संस्थान (आईओडी), सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी (एनएएचआरडी), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनआईसी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आईपीई), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य अग्रणी संस्थान कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यावसायिक नैतिकता और आचरण, निदेशक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, नेतृत्व उत्कृष्टता, उच्च प्रदर्शन करने वाले संगठन बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास के लिए रणनीतियां, प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन, बोर्ड रूम प्रथाएं, जोखिम प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता विकास, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आदि के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार, सम्मेलन, अधिवेशनों के लिए नामित किया जाएगा।

5.0 बजट

5.1 बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाले सभी व्यय जैसे फीस, परिवहन (वायु/रेल/सड़क), आवास, आतिथ्य, स्थल आदि का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

5.2 वर्तमान बोर्ड क्षमता को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों के प्रशिक्षण पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की बजट सीमा स्वीकृत की गई।

5.3 तथापि, बोर्ड की क्षमता और वर्ष-दर-वर्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंध निदेशक को आगामी वित्तीय वर्षों के लिए बजट की समीक्षा करने का अधिकार है।

6.0 अनुमोदन की प्रक्रिया

कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों, नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, प्रबंध निदेशक भारत में कार्यक्रमों के लिए नामांकन के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे। प्रबंध निदेशक के मामले में, अध्यक्ष भारत में कार्यक्रमों के लिए नामांकन के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।

7.0 वेबसाइट पर नियुक्ति

यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी।

8.0 व्याख्या और संशोधन

प्रबंध निदेशक को इन नियमों में निहित किसी भी प्रावधान को संशोधित करने का अधिकार है। इन नियमों की व्याख्या या आवेदन के संबंध में छूट या संदेह के किसी भी मामले को प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।